Jute Stocks accummulated by Larger Business Houses

*75. SHRIMATI ROZA DESHPANDE:
SHRI NARENDRA SINGH:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether four larger business houses have accumulated jute stocks to manipulate the raw jute market for almost nine months;

(b) if so, the names of the larger business houses and the action Government have taken against them, and

(c) how far this has affected the prices of jute?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D P CHATTOPADHYAYA): (a) and (b). The following jute mills were carrying stocks of nearly 9 months' consumption as on 1st October 1974:—

1. Agarpara (Duncan Group)
2. Champdany (Jerambhai Group)
3. Shri Gouri Shankar (Bhagat Group)
4. Ganges (J. K. Group)

In addition, the following twine units were also carrying similar stocks:—

1. Fibre Processors (Lohia Group)
2. Arun General (Kothari Group).

As a result of large purchases during the previous season and efforts to build up stocks, during the current season, in anticipation of short crop, mills in general are carrying heavy stocks at present. As there are no restrictions on stock holding and as the purchases made by the mills have helped in maintaining prices, for the time being. Government do not consider any action necessary.

(c) While, as a result of the purchases made by the mills and due to poor arrivals in the early part of the season raw jute prices ruled firm till about the end of September 1974, there has been some decline in the prices thereafter due to improvement in arrivals.

हाल ही में पकड़े गये तस्करों की सम्पत्तियों का मूल्यांकन

*76. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 1 अगस्त, 1974 से अब तक पकड़े गये तस्करों के राज्यवार नाम क्या है, और

(ख) उनमें प्रत्येक की सम्पत्ति का मूल्य कितना-कितना आंका गया है और इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को नजरबन्द रखा गया है, उनके नाम विवरण में दिये गये है । इन व्यक्तियों के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी इस अध्यादेश के अधीन 500 से भी अधिक अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में नजरबन्दी आदेश जारी किये गये है ।

(ख) तस्कर व्यापार करने वाले व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के मामलों को, प्रत्यक्ष करों के दृष्टिकोण से गहरी जांच के लिए विशेष एककों के अन्तर्गत केन्द्रित किया जा रहा है । कुछ मामलों में तलाशियां भी की गई हैं । इन व्यक्तियों की सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित करना अभी